43

II/निग०/सतना/2018/01348

# न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट रीवा) म0प्र0

चन्द्रिका प्रसाद पाण्डेय तनय स्व0 श्री रामसजीवन पाण्डेय, उम्र 60 वर्ष, निवासी जिरवार, तह0 रघुराजनगर, जिला सतना म0प्र0

————————निगरानीकर्ता

**बनाम्**

आम जनता जिरवार, द्वारा सुरेन्द्रनाथ पाण्डेय निवासी जिरवार, तह0 रघुराजनगर, जिला सतना म0प्र0

———गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्ध आदेश व निर्णय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय संभाग रीवा, लिंक कोर्ट सतना (म.प्र.) के प्रकरण कमांक 990/अपील/09–10 के पारित आदेश दिनांक 05.02.2018 अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959ई.

मान्यवर

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण :–

1– यह कि गैरनिगरानीकर्ता/आम जनता जिरवार की और से सुरेन्द्रनाथ पाण्डेय द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र माननीय कलेक्टर महोदय सतना के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि बस्ती के अंदर का पुस्तैनी रास्ता निगरानीकर्ता के द्वारा दीवाल बनाकर बंद कर दिया गया है, जिससे ग्राम जिरवार की सभी जनता को अत्यधिक परेशानी है, तथा गॉव दो खण्डो में विभाजित हो गया है। जोकि छोटे छोटे बच्चों, बुढो और औरतों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड रहा है। उक्त दर्शाया गया रास्ता म0प्र0 शासन की आबादी चेक के

# न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो / निगरानी / सतना / 2018 / भूरा / ~~1493~~ 1343

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही अथवा आदेश | पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 23-5-18 | आवेदक के अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार मिश्रा उपस्थित होकर उनके द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा लिंक कोर्ट सतना के प्रकरण कमांक 990 / अपील / 2009–10 में पारित आदेश दिनांक 5.2.18 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।<br><br>2–आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया । अध्ययन से स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा कलेक्टर जिला सतना को एक शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर से तहसीलदार को जांच के आदेश दिये जिस पर तहसीलदार द्वारा रूढिगति रास्ता अवरोध किया गया था जिसे हटानें के आदेश दिये। आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के यहां अपील प्रस्तुत की जो निरस्त कर दी गई है। अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में लेख किया गया है कि तहसीलदार रघुराजनगर द्वारा पटवारी से प्रतिवेदन मंगाकर दिनांक 4.9.08 को स्थल पंचनामा भी तैयार किया गया जिसमें ग्राम के अन्य व्यक्तियों के हस्ताक्षर हैं, इससे स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा रूढिगत रास्ता अवरोध किया गया है। अतः तीनो अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश समवर्ती आदेश हैं जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। **समवर्ती आदेश अपील में हस्तक्षेप योग्य** | |

**नही। न्याय दृष्टांत 1994 राजस्व निर्णय 305 पार्वती देवी विरूद्व सत्यनारायण " माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभि निर्धारित किया है कि " तथ्यात्मक समवर्ती निष्कर्ष द्वितीय अपीलय कोर्ट में हस्तक्षेप योग्य नहीं"।** इससे स्पष्ट है कि अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 5.2.18 उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

3– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा लिंक कोर्ट सतना के प्रकरण कमांक 990 / अपील / 2009–10 में पारित आदेश दिनांक 5.2.18 उचित होने से स्थिर रखा जाता है । परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी अग्राह की जाती है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे। पक्षकार सूचित हों।

सदस्य